

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.- 0002/अ-20(3)/वर्ष 2024-25

मौजा- सरखेड़ा प.ह.नं. 07

तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्रमांक-1

सागर (म.प्र.)

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 29/11/2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 खसरा नंबर 326 रकबा 75.510 हे. में से 15.00 हे. भूमि बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को हस्तांतरित किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इशतहार का प्रकाशन ग्राम में एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सरखेड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकबा 75.51 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख एवं मिसल बंदोबस्त अनुसार पहाड़/चट्टान के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में से रकबा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटन से ग्राम के छोटाघास रकवे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ग्राम की चरोखर भूमि के रकवे में परिवर्तन नहीं होने से 02% प्रतिशत शर्त का उल्लंघन नहीं होगा। उक्त भूमि दक्षिण वन मण्डल से लगी हुई है। आवेदित भूमि बरोदा सिंचाई परियोजनान्तर्गत डूब में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रकबा 15.00 हेक्टेयर भूमि आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा प्रारूप-2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर खसरा नंबर 326 रकबा 75.51 हे. मद (पहाड़) में से 15.00 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आवंटन की जाना है। उक्त संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आक्षेप/आपत्तियां प्राप्त नहीं। स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी द्वारा आवेदित भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवंटन हेतु उपयुक्त है प्रस्तावित रकवे को नक्शा में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है।

P.T.O.

ग्राम का चरनोई रकवा 16.90 हे. है, खाते के रकवा के मान से 2% प्रतिशत चरनोई रकवा 8.00 हे. है, आवेदित भूमि आवंटित उपरांत ग्राम का चरनोई का रकवा 2% प्रतिशत से 8.90 हे. अधिक शेष रहेगा। आवेदित भूमि ग्राम सरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) शासकीय मध्यप्रदेश शासन का अंश भाग रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत आवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 11.11.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मौजा सरखेड़ा प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर तहसील देवरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद-पहाड़) में से रकवा 15.00 हेक्टेयर भूमि "म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" बरोदा सिंचाई परियोजनात्तर्गत आने वाली वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार गौरझामर, अनुविभागीय अधिकारी देवरी, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :-

क्रं.	ग्राम/तहसील का नाम	प.ह.नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद	विभाग का नाम
1	सरखेड़ा/देवरी	07	326	75.51	15.00	शासकीय पहाड़	वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
कुल योग-					15.00		

म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए "म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार - राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा" वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)

कलेक्टर

जिला-सागर

सागर दिनांक 29/11/2024

पृ0क्रं0/ 10144 /री0कले0/2024

प्रतिलिपि:-

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनार्थ।

2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नायब तहसीलदार, गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नगर तथा ग्राम निवेश सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला-सागर



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:सरखेड़ा		पटवारी हल्का:सरखेड़ा				तहसील:देवरी			जिला:सागर	वर्ष: 2024-2025		
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधांक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के फसल के अधीन फसल के क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि की सिचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान फॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश		
8163499BS53FH0	326/1/2 (S)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			15.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0138/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 02/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
			रु.0.00									न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0002/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 29/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

[illegible]

∴

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

28

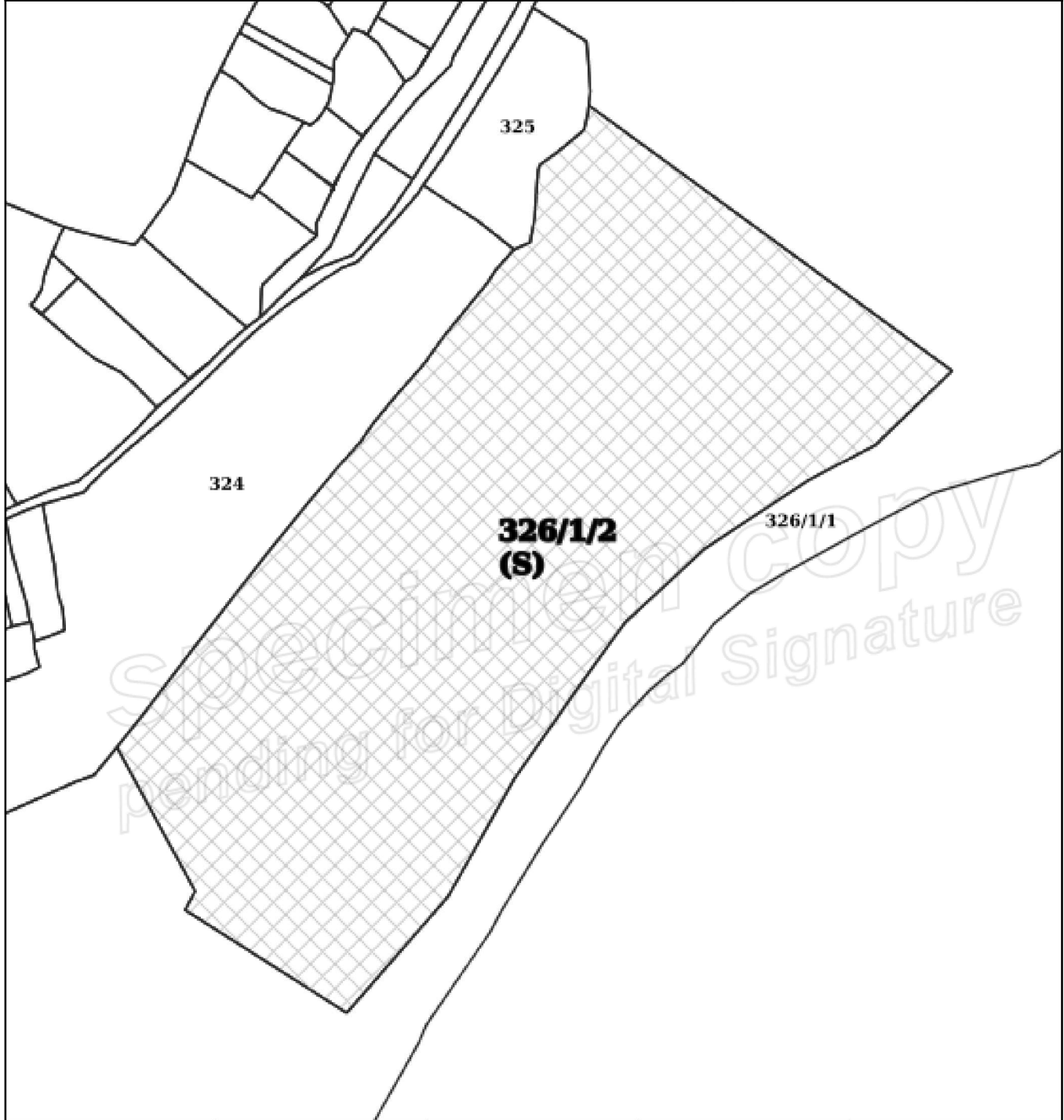


मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2024-25

दिनांक: 20-01-2025 16:13:22



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	सरखेडा	सरखेडा	देवरी	सागर
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
326/1/2(S)	15.0000(हेक्ट.)	0	 0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी: (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साईड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।